प्रेषक,

डा०आर०पी०श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या 363/20-2-2000-19(25)/06

समाज कल्याण अनुभाग-2   लखनऊ: दिनांक 01 मार्च 2006

विषय:- रिट याचिका संख्या-7423(एस/एस) 04उ0प्र0 प्राथमिक प्राविधिक आश्रम पद्धति शिक्षक एसोसियेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-0-7-05के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री पूर्ण मासी दीन प्रान्तीय महामंत्री,उ0प्र0प्रा0पाठशाला आश्रम पद्धति शिक्षक एसोसियेशन का पत्र दिनांक-20-7-05के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-7423(एस/एस) 04उ0प्र0 प्राथमिक प्राविधिक आश्रम पद्धति शिक्षक एसोसियेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-0-7-05 को यह आदेश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन निदेशक,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ की रिपोर्ट दिनांक-13-10-04 के संबंध में दो माह के अन्दर निर्णय पारित करें।

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा अपने पत्र दिनांक-13-10-04में निम्न बिन्दु उठाये गये है:-

(1) शासनादेश संख्या-1490/20-2-04-4(392)/99दिनांक-29-7-04 द्वारा वेतन समिति (1997-99)की संस्तुतियो के परिपेक्ष मे संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति जारी हो चुकी है। तत्संबंधी वेतन निर्धारण के आदेश अपेक्षित है।

उक्त के संबंध मे स्पष्ट किया जाना है कि शासन द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-1523/20-2-05-19(20)/04,दिनांक-4-6-05को निर्गत कर दिया गया है।

(2) विभागीय आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को भविष्य निधि,पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने एवं उससे संबंधित नियमावली का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान प्राप्त निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की सेवा शर्ते बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्ते और अन्य शर्ते) नियमावली 1975 से नियंत्रित है, समाज कल्याण विभाग द्वारा नियमावली बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को भविष्य निधि,पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं सामूहिक जीवन बीमा लागू किये जाने संबंध मे कोई नियमावली /नीति निर्धारित नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नगत संदर्भ मे अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। प्रकरण उक्त समिति के विचाराधीन है,जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग के भी प्रतिनिधि है।

(3) आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को सेवा में नियोजित किये जाने के संबंध मे शासकीय निर्णय की अपेक्षा की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त उक्त समस्त विद्यालय निजी प्रबन्धाधिकरण के अधीन संचालित विद्यालय है। उक्त विद्यालय

सरकारी विद्यालय की श्रेणी में नहीं आते हैं। निजी प्रबन्धाधिकरण के अधीन संचालित एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों पर मृतक आश्रित सेवा नियमावली लागू नहीं है। उक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवा में लिये जाने के संबंध में शासन द्वारा फिलहाल कोई नीति निर्धारित नहीं है। उक्त प्रकरण भी अन्तर्विभागीय समिति को संदर्भित है।

(4) आवर्तक अनुदान पर संचालित कन्या प्रा0पा0 पाठशालाओं में कार्यरत दाइयों को वर्तमान में 80–450/–प्रतिमाह मानदेय दिये जाने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि आवर्तक अनुदान पर संचालित कन्या प्रा0पाठशालाओं में कार्यरत दाइयों को 80–450/– पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

(5) समाज कल्याण विभाग के प्रा0पाठशालाओं के अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों की भाँति सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62वर्ष किये जाने की अपेक्षा की गई है।

समाज कल्याण विभाग के प्रा0पाठशालाओं के अध्यापकों को शिक्षा विभाग के अध्यापकों की भाँति सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता आयु 60वर्ष से बढ़ाकर 62वर्ष किये जाने के संबंध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–69एग/20–2–06–100 (13)/05दिनांक–22–7–06निर्गत कर दिया गया है।

3– अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–6–7–05 के अनुपालन में निदेशक,समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक–13–10–04एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(डा0आर0सी0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या–323(1)/26–2–05–तद्दिनांक

1–मुख्य स्थायी अधिवक्ता,मा0उच्च न्यायालय,लखनऊ बैंच,लखनऊ।
2–श्री पूर्णमासी दीन,प्रान्तीय महामंत्री,उ0प्र0प्राथमिक वैदिक आश्रम पद्धति शिक्षक एसोसियेशन।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
उप सचिव